न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०
अज अदालत सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
50/2021	13/09/2021	06/10/2025

1. दीनदयाल पुत्र श्री कस्तूरचंद जाति मीणा
2. रामलखन पुत्र श्री कस्तूरचंद जाति मीणा
3. रविकांत पुत्र श्री कस्तूरचंद जाति मीणा
4. संतोष बाई पुत्री कस्तूरचंद जाति मीणा
5. इन्द्राबाई पुत्री श्री कस्तूरचंद जाति मीणा
6. ललिताबाई पुत्री श्री कस्तूरचंद जाति मीणा
7. पदमाबाई पुत्री श्री कस्तूरचंद जाति मीणा निवासीगण मूंगेना तह० पीपल्दा

प्रार्थीगण

बनाम

1. हसंराज पुत्र श्री सूरजमल जाति मीणा
2 श्यामाबाई पुत्री श्री सूरजमल जाति मीणा
3. लेखराज पुत्र श्री पप्पूलाल जाति मीणा
4. गीताबाई पत्नी श्री पप्पूलाल जाति मीणा
5. जोधराज पुत्र श्री प्रहलाद जाति मीणा
6. कैलाश पुत्र श्री प्रहलाद जाति मीणा
7. राजेन्द्र पुत्र श्री प्रहलाद जाति मीणा
8. निर्मलाबाई पुत्री श्री प्रहलाद जाति मीणा
9. अनोखबाई पुत्री श्री प्रहलाद जाति मीणा
10. रामनाथ पुत्र श्री हीरालाल जाति मीणा
11. मुकुटबिहारी पुत्र श्री हजारीलाल
12. जुगराज पुत्र स्व. श्री हजारीलाल
13. मूर्ति पुत्री स्व. श्री हजारीलाल
14. रामनिवासीबाई पत्नी स्व. हजारीलाल जाति मीणा निवासीगण
15. भंवरलाल पुत्र श्रीकिशन
16. पीरूलाल पुत्र श्रीकिशन
17. सुरेन्द्र पुत्र श्री धनपाल
18. नरेन्द्र पुत्र श्री ध्धनपाल
19. बँटी पुत्र श्री धनपाल
20. बरफाबाई पत्नी श्री धनपाल जाति मीणा निवासीगण मूंगेना
21. राहुल ना. बा. पुत्र श्री मुरारीलाल जाति मीणा जरिये वली दादा श्री शिवप्रसाद पुत्र श्री अमरलाल जाति मीणा नि. रनोंदिया तह पीपल्दा जि० कोटा राज
22. राज. सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा जि० कोटा राज.

अप्रार्थीगण

प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री हरिमोहन मीणा एड०।
अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री गिरिराज कुशवाहा एड०।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मूंगेना पटवार हल्का बिनायका भू.निरी.क्षेत्र. बिनायका तहसील पीपल्दा नि० कोटा राज से खसरा नम्बरान 71, 107, 108, 274, 275, 358, 359, 385, 406, 468, 469, 473, 474, 475, 531, 532, 557, 560, 579, 580, 661/575 कुल किता 21 की कुल रवा 16.57 है०, कृषि भूमि स्थित है, जिसके खातेदारान प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड से अंकित चले आ रहे है। उक्त भूमि से प्रार्थीगण का उक्त भूमि में 1/6 हिस्साा नियत है, तथा अप्रार्थीगण 1 लगायत 9 का हिस्सा 1/6 नियत है, एवं अप्रार्थीगण कम 10

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

लगायत 14 का 1/6 हिस्सा नियत है, एवं अप्रार्थी क्रम 15 लगायत 16 का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी कम क्रम 17 लगायत 20 का 1/6 हिस्सा नियत है, अप्रार्थीगण सूरजमल, प्रहलाद, किशनलाल का भाई शंकरलाल फोत हो चुका है और उसकी बेवा भी फोत हो चुकी है, जो लाऔलाद है, उनका हिस्सा अप्रार्थीगण में समायोजित माना जायेगा, तथा अप्रार्थी क्रम 11 ने अपने हिस्से आराजी में से अप्रार्थी क्रम 21 को बेचान कर दिया है। उक्त संयुक्त खाते की भूमि मे सामाजिक बंटवारे के मुताबिक मेरे पिता जी को उनका 1/6 हिस्सा भूमि दे रखी थी जिस पर हमारा कृषि काश्त चली आ रही थी, उक्त भूमि ख0नं0 661/578 रकबा 2.88 है0, नहरी प्रथम भूमि को अप्रार्थीगण क्रम 15 लगायत 20 ने उक्त भूमि को देने से मना कर दिया। संयुक्त खाता होने से प्रार्थीगण को अपने हिस्से की भूमि पर भू–सुधार व विकास कार्य करवाने, लगान जमा करवाने, कृषि ऋण प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पडता है, इस कारण प्रार्थीगण कुल जोत में निहित हिस्से 1/6 का विभाजन करवाकर पृथक खाते से दर्ज करवाना चाहते है, प्रार्थीगण अपना हिस्सा विभाजित करवाने व पृथक खाते दर्ज करवाने के कानूनी अधिकारी है। संयुक्त खाते होने से प्रार्थीगण को अपने हिस्से की भूमि पर भू सुधार व विकासकार्य करवाने, लगान जमा करवाने, कृषि ऋण प्राप्त करने में परेशानीयों का सामना करना पड़ता है, इस कारण प्राथीगण कुल जोत में निहित हिस्से 1/6 का विभाजन करवा कर पृथक खाते में दर्ज करवाना चाहते है, प्रार्थीगण अपना हिस्सा विभाजित करवाने व पृथक खाते दर्ज करवाने के कानूनी अधिकारी है। प्रार्थीगण ने अपना हिस्सा विभाजित करवाने तथा अप्रार्थीगण से अपना हिस्सा पृथक कराने हेतु कई बार कहा किन्तु अप्रार्थीगण ने विवादित कृषि भूमि से निहित अपने हिस्से को विभाजित कराने से स्पष्ट मना कर दिया इस कारण प्रार्थीगण के सामने न्यायालय श्रीमान के समय यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड़ा है। दिनांक 30.6.2021 को प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि को खसरा नं. 661/578 रकबा 2.88 है0 भूमि में से 0.80 है0, अप्रार्थी क्रम 15 लगायत 20 ने ताकत के बलबूते पर जबर्दस्ती अतिक्रमण करके हांक दिया, कहने पर मारपीट करने पर आमादा हुए इसी कारण वाद कारण उत्पन्न हुआ है तथा अप्रार्थीगण को क्रम 15 लगायत 20 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के ही पक्ष में है, तथा अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण को ही होनी है जिसकी भरपाई प्रार्थीगण के लिए असंभव है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण के पक्ष मे एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाये कि वाके माल ग्राम मूंगेना तह0 पीपल्दा जि० कोटा राज में स्थित ख सरा नम्बरान 71, 107, 108, 274, 275, 358, 359, 385, 406, 468, 469, 473, 474, 475, 531, 532, 557, 560, 579, 580, 661/575 कुल किता 21 की कुल रवा 16.57 है०, भूमि में निहित प्रार्थीगण के 1/6 हिस्स नियत है, पारिवारिक विभाजन मुताबिक मेरा कब्जा खसरा नं0 661/578 रकबा 2.88 है. प्रतिवादी क्रम 15 लगायत 20 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे प्रार्थीगण के खाते की भूमि में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत न तो स्वयं करे न ही अपने किसी प्रतिनिधियो के करावे तथा वर्णित भूमि को रहन, बेचान, हस्तान्तरण नहीं करे।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र श्री हरिमोहन मीणा एड0 ने पेश किया। अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी कम 1 ता 5, 7 ता 9, व 15 ता 20 की ओर से श्री गिरिराज कुशवाहा एड0 ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी कम 6, 10 ता 14 बावजूद सूचना अनुपस्थित होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी कम 1 ता 5, 7 ता 9, व 15 ता 20 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी कम 21 ने जवाब प्रार्थना पत्र काउन्टर क्लेम पेश किया।

जवाब अप्रार्थीगण निम्नानुसार हैः– प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 15, 16, 17. 18, 19, 20 राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदार कृषक है और सभी खातेदारान अपने अपने हिस्सों पर कब्जों अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। इसलिए

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज॰)

सहखातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती तथा प्रत्येक खसरा नम्बर पर प्रत्येक खातेदार का कब्जा होता हैं– इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य हैं। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पृथम दृष्टया नहीं है। सुविधा का सतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है तथा प्रार्थीगण को कोई अपूरणीय क्षति भी नहीं हो रही हैं. विवादित कृषि भूमि सयुंक्त खातेदारी भी है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने की कृपा करे। अप्रार्थी क्रम 21 ने जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम पेश किया। जो निम्नानुसार हैः– प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजी ग्राम मुगेंना पटवार हल्का विनायका भू अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र विनायका तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० मे खसरा नम्बर 107 रकबा 0.44 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 108 रकबा 1.87 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 274 रकबा 0.76 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 275 रकबा 0.71 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 358 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 359 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 385 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 406 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 468 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 469 रकबा 1.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 473 रकबा 1.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 474 रकबा 0.92 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 475 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 531 कबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 532 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 557 रकबा 0.63 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 560 रकबा 2.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 579 रकबा 1.49 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 580 रकबा 1.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 661/578 रकबा 2.88 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 71 रकबा 0.23 हैक्टेयर, कुल किता 21 कुल रकबा 16.57 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जिसमे प्रतिवादी क्रम 21 का 25/414 हिस्सा निहित है जिसे जवाब प्रार्थना पत्र मय काउण्टर क्लेम मे विवादित आराजी कहा गया है। अप्रार्थी क्रम 21 अपने हिस्से की भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है, किन्तु उक्त विवादित कृषि आराजी संयुक्त खातेदारी मे होने के कारण अप्रार्थी क्रम 21 को भूःसुधार करने, कृषि ऋण प्राप्त करने आदि कार्यो मे कठिनाईयो का सामना करना पड रहा है। अप्रार्थीक्रम 21 द्वारा प्रार्थीगण व अन्य अप्रार्थीगण से उक्त विवादित आराजी का विभाजन करवाने हेतु कई बार निवेदन किया किन्तु प्रार्थीगण व अन्य अप्रार्थीगण विभाजन करवाने को तैयार नही हुये। इसलियें अप्रार्थी क्रम 21 के लियें आवश्यक हो गया हे कि वह माननीय न्यायालय की सहायता से जवाब प्रार्थना पत्र मय काउण्टर क्लेम के आधार पर उक्त विवादित आराजी का विभाजन कब्जे के अनुसार करवाकर राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद करावें। विवादित आराजी मे अप्रार्थी क्रम 21 अपने निहित 25/414 हिस्से का सह खातेदार व काबिजी कृषक है किन्तु प्रार्थीगण व अन्य अप्रार्थीगण विवादित आराजी पर अप्रार्थी क्रम 21 के कब्जे काश्त की कृषि आराजी पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा करने व अतिक्रमण करने पर आमादा है तथा विवादित बैचान करने पर आमादा है तथा आराजी को खुर्द–बुर्द रहन. प्रार्थीगण व अन्य अप्रार्थीगण आये दिन अप्रार्थी क्रम 21 के हिस्से की भूमि मे उसके शांतिपूर्वक कब्जा काश्त मे मदाखलत व मजाहमत करते रहते है, प्रार्थीगण व अन्य अप्रार्थीगण ने इसी आशय से कई बार अप्रार्थी क्रम 21 को विवादित आराजी से बेदखल करने व विवादित आराजी को खुर्द–बुर्द रहन, बैचान व हस्तान्तरित आदि करने की धमकी दी है इस कारण प्रार्थीगण व अन्य अप्रर्थीगण को अस्थायी निषेद्याज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है। जवाब प्रार्थना पत्र मय काऊण्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अप्रार्थी क्रम 21 का जवाब प्रार्थना पत्र मय काऊण्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेद्याज्ञा जारी की जावें कि ग्राम मुगेंना पटवार हल्का विनायका भू– अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र विनायका तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० मे खसरा नम्बर 107 रकबा 0.44 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 108 रकबा 1.87 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 274 रकबा 0.76 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 275 रकबा 0.71 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 358 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 359 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 385 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 406 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 468 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 469 रकबा 1.04

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

हैक्टेयर, खसरा नम्बर 473 रकबा 1.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 474 रकबा 0.92 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 475 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 531 कवा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 532 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 557 रकबा 0.63 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 560 रकबा 2.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 579 रकबा 1.49 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 580 रकबा 1.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 661/578 रकबा 2. 88 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 71 रकबा 0.23 हैक्टेयर, कुल किता 21 कुल रकबा 16.57 हैक्टेयर भूमि मे अप्रार्थी क्रम 21 के 25/414 हिस्से मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप व व्यवधान न तो प्रार्थीगण व अन्य अप्रार्थीगण करें और न ही अपने प्रतिनिधियो से करावें।

जवाब प्रार्थना पत्र काउन्टर क्लेम निम्नानुसार हैः– अप्रार्थी क्रम 1 व 9 द्वारा अपने हिस्स मे नियत भूमि से अधिक भूमि पर जबर्दस्ती ताकत के बल पर अतिक्रमण कर रखा है अप्रार्थी क्रम 1 व 9 का कृत्य कानून के विपरित है इसलिए राजस्व रिकार्ड के मुताबिक विभाजन किया जावे। अप्रार्थीगण क्रम 1 व 9 द्वारा पारिवारिक विभाजन के अनुसार जो बटवारा किया गया उसके अनुसार काबिज नही है इसलिए उक्त भूमि ताफैसला प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। अप्रार्थीगण को विभाजन तक उक्त कृषि आराजी का बैचान, दान, वसीयत, एवं हस्तान्तरित नही करे। जवाब प्रार्थना पत्र काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य राजस्व रिकार्ड के हिस्से अनुसार विभाजन किया जावे।

बहस सुनी गई। प्रथम दृष्टया प्रकरण विवादित आराजी में अविभाजित खातेदार दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण के पक्ष में है। ख0नं0 661/578 रकबा 2.88 में मुताबिक राजस्व अभिलेख प्रार्थीगण का हि0 1/6 दर्ज है। मूलवाद में स्वयं के हिस्से का विभाजन करने का अनुतोष मांगा है जो विचारण का विषय है। वाद में विचारण के दौरान वादी के हिस्सा 1/6 सामाजिक बंटवारे के मुताबिक ख0नं0 661/578 रकबा 2.88 में से 0.80 भूमि को प्रतिवादी द्वारा खुर्द–बुर्द करने की संभावना है। भूमि खुर्द–बुर्द हो जाने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी भरपाई नहीं हो सकेगी। यदि प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो प्रार्थी को अपने हि0 1/6 तक काश्त करने में सुविधा होगी। सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है अतः ग्राम मूंगेना पटवार हल्का विनायका तह0 पीपल्दा में स्थित ख0नं0 661/578 रकबा 2.88 अप्रार्थीगण को इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक प्रार्थी के सम्पूर्ण खातेदारी किता 21 कुल रकबा 16.57है0 के हिस्सा 1/6 के बराबर यानि 2.76है0 तक मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। विवादित आराजी में प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे। ना ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे। निर्णय आज दिनांक 06.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो व मूल नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)